राजस्व प्रार्थना पत्र स. 207/2022 अनवान राजकुमार आदि बनाम हसराज आदि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी—श्रीमती अमिता बिश्नोई आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 207/2022

1. राजकुमार
2. ओमप्रकाश

पिसरान हसराज जाति कुम्हार साकिन चक 10 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—बनाम—

1. हसराज पुत्र श्री पोखरराज जाति कुम्हार साकिन चक 10 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजपाल पुत्र श्री हसराज जाति कुम्हार साकिन चक 10 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—:प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आर.टी.ए. :—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री अजय सिंह चौहान अधिवक्ता	—— प्रार्थी
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता	—— अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा	—— अप्रार्थी सं. 3

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 06.05.2024

प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री अजय सिंह चौहान द्वारा दिनांक 10.08.20 को प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अनुसार प्रार्थीगण के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 10 पीबीएन के खाता संख्या 102 /112 के प.न. 44/298 के मु.न. 47 किला न 3, 8, 13, 18, 23 की कुल 1.265 हैक्ट. तथा प्रार्थी संख्या 2 के नाम इसी चक 10 पीबीएन के खाता संख्या 15/112 किला नं. 2, 9, 19, 22 की 1.2650 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

अप्रार्थी संख्या 01 हंसराज के नाम से चक 10 पीबीएन के खाता संख्या 144/21 के प.न. 43/298 किला न. 1 ता 5 की कुल 1.202 हैक्ट. तथा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से इसी चक के खाता संख्या 103/104 प.न. 44/298 किला न 1, 10, 11, 12, 20, 21 की कुल 1.265 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के पिता है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित रकबे में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है इसलिए दिनांक 27.07.2017 को हमारा एक लिखित घरू बंटवारा हुआ उस बंटवारे में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की लिखित सहमति से चक 10 पीबीएन के खाता संख्या 43/298 किला न 1/0.025, 2/0[illegible]0.030, 4/0.038, 5/0.068 कुला 0.191 हैक्ट. रास्ता हेतु सहमत होकर मौका [illegible] खुलवाया जो रास्ता आज मौका पर चल रहा है

अब अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई है, उक्त रास्ता बन्द करने की [illegible] धमकिया दे रहे है। प्रार्थीणग के रकबा में आने जाने का [illegible] कोई रास्ता नहीं है। अतः चक 10 पीबीएन के खाता संख्या 43/298 किला न 1/0.025, 2/0.030, 3/0.030, 4/0.038, 5/0.068 कुला 0.191 हैक्ट. रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश जारी फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.13 18:48:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रकरण प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 01.02.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री हरजिन्द्र रमाण अधिवक्त द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 आंशिक रूप से स्वीकार है। अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के मध्य सहमति से चक 10 पीबीएन के खाता सख्या 43/298 किला न 1/0.025, 2/0.025 ,3/0.025, 4/0.025, 5/0.052 कुला 0.152 है. रास्ता सहमति से छोड़ा गया था जो मौका पर चालू है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है मौका पर चक 10 पीबीएन-ए के खाता संख्या 43/298 किला न 1/0.025, 2/0.025, 3/0.025, 4/0.025, 5/0.052 कुला 0.152 हेक्ट. रास्ता चल रहा हे। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 257 दिनांक 20.10.2023 से प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बधित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में भी कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है।

-:: आदेश ::-

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना-पत्र और तहसीलदार रिपोर्ट व मौका का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट रीडर/2023/257 दिनांक 22.10.2023 व धारा 251 (क) के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 10 पीबीएन के खाता संख्या 43/298 किला नं. 1/0.025, 2/0.030, 3/0.030, 4/0.038, 5/0.068 कुल 0.191 हैक्ट. रास्ता बजानिब उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता की कुल 0.191 हैक्टेयर भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा आदेशानुसार राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करवाकर रास्ते की भूमि का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनाक 06.05.24 को मेरे द्वारा लिखवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.13 18:48:45 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा